न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 81/2017

हेमन्त शर्मा पुत्र विजय प्रकाश शर्मा निवासी थाखा जी की गली ब्रम्ह अखाडे के पास टोडारायसिंह जिला टोंक

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक** 23.11.2017

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 20.09.2017 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

राजस्थान सूचना आयुक्त के निर्णय दिनांक 30.12.2015 अपील संख्या 6083/2013(श्री अनिल मिश्रा बनाम जिला रसद अधिकारी टोंक) की पालना मे आपके द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित एफआईआर संख्या 203 दिनांक 03.04.2014 की प्रति व कार्यवाही की सूचना प्रति की प्रमाणित सूचना प्रतिलिपियां भ्रष्टाचार निवारनार्थ लोकहित मे देने की कृपा करे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को पत्र क्रमांक 1808 दिनांक 13.11.2017 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक ने पत्र क्रमांक 969 दिनांक 20.11.2017 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 860 दिनांक 10.10.2017 से अपीलार्थी को सूचना प्रेषित की गई है। अतः अपील मे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

जिला कलेक्टर ... सत्यमेव जयते ... (राजस्थान)

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक